प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-15431/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023, दिनांक-15.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, जो-गजफ्फरपुर पैसरा, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। डा० अनुराग मित्तल अपने साथ मोबाइल फोन के अतिरिक्त एक लाख रूपये भारतीय मुद्रा तथा आठ हजार अमेरिकन डालर के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। बंदी ने लूट के इरादे से दिनाक 27.08.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर डा० अनुराग मित्तल की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को हाथरस जंक्शन पर फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/2008 में भा०द०वि० की धारा-394, 302, 201, 411, 419, 468, 471 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनाक 29.08.2018 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 07 माह 20 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, अपराध में लिप्त होने की संभावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने लूट के इरादे से दिनांक 27.08.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहे डा० अनुराग मित्तल की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को हाथरस जंक्शन पर फेंकने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं क आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार वर्मा (बन्दी संख्या-16576) पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-713/2025/1641(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-713/2025/1641/22-2-2023-17(1682)/2022

दिनांक 30 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, जो-गजफ्फरपुर पैसरा, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। डा० अनुराग मित्तल अपने साथ मोबाइल फोन के अतिरिक्त एक लाख रूपये भारतीय मुद्रा तथा आठ हजार अमेरिकन डालर के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। बंदी ने लूट के इरादे से दिनाक 27.08.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर डा० अनुराग मित्तल की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को हाथरस जंक्शन पर फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/2008 में भा०द०वि० की धारा-394, 302, 201, 411, 419, 468, 471 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनाक 29.08.2018 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 07 माह 20 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, अपराध में लिप्त होने की संभावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने लूट के इरादे से दिनांक 27.08.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहे डा० अनुराग मित्तल की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को हाथरस जंक्शन पर फेंकने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं क आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी बृजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in